न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 36 / 2020

उनवान

1. गोपी पुत्र दूला,
2. दल्ला पुत्र दूला,
3. आपूदेवी पत्नी पदमा,
4. पांचू सिंह, अन्ना सिंह,
5. बीरम सिंह,
6. नारायण सिंह,
7. सुखदेव,
8. प्रेम,
9. भागचन्द,
10. महावीर सिंह,
11. पांची पि0 पदमा,
12. बन्ना सिंह,
13. भंवर सिंह,
14. मोती सिंह पुत्र मल्ला जाति रावत नि0 सवाईपुरा नयागांव, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. घीसा पुत्र राजू जाति मेहरात नि0 भीमपुरा, नसीराबाद,
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रगार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
2 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राज0 अधि0 1956

दिनांक :– २५.५.२२

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नयागांव के हाल खसरा नम्बर 3240 रकबा 0.33 की आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण उक्त आराजी की सुरक्षा के [illegible] है। उक्त आराजी के समीप स्थित खसरा नम्बर 3241 रकबा 0.58 व 3242 रकबा 0.35 [illegible] प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:36:56 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर दखलदांजी की जा रही है जिस कारण प्रार्थीगण को फसल काश्त करने पर परेशानी हो रही है। अतः आराजी मुतनाजा की पत्थरगढाई कराना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जहिर किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने लिखित कथनों को दोहराया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का विवाद नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण की आराजी पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही की जा रही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी की भूमि हडपने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को भूमि की मेड सबंधी परेशानी है जो सीमाज्ञान की कार्यवाही करनी चाहिये। अतः प्रार्थन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया खसरा नम्बर 3240 की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दखल करने का कथन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। खसरा नम्बर 3241 व 3242 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। उक्त दोनो आराजी एक ही सीमा पर स्थित है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में उक्त आराजी के सीमाज्ञान की क्या कार्यवाही की इस बाबत स्थिति स्पष्ट नही की है। पत्थरगढी से पूर्व आराजी मुतनाजा का सीमाज्ञान नही हुआ है। प्रार्थी अपनी आराजी की सीमा की जानकारी विधिवत सीमाज्ञान करवाकर प्राप्त कर सकता है। प्रार्थीगण की खातेदारी के पडौस में स्थित खसरा नम्बर 3239 व 3238 के खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनका विवाद खसरा नम्बर 3240 व 3241 की सीमा को लेकर ही है। किन्तु पत्थरगढी भूमि की एक सीमा की नही होकर सम्पूर्ण भुजाओं की होती है। अतः भुमि के चारों ओर के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार अनाया जाना आवश्यक है। उभयपक्ष नियमानुसार अपनी–अपनी आराजी का सीमाज्ञान कराने हेतु स्वतंत्र है। विवाद होने की स्थिति में उभयपक्ष पत्थरगढी का आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद